<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>दिनांक - 25.06.2021</u>

<u>पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा</u>

05 वर्षीय बालक के सनसनीखेज अपहरण एवं 20 लाख की फिरौती मांगने वाले मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 30 घण्टे के अन्दर पुलिस मुठभेड़ में अपहृत को कराया सकुशल बरामद, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, साथी अभियुक्त भी गिरफ्तार –

दिनांक 23.06.2021 की रात्रि थाना वजीरगंज क्षेत्र अन्तर्गत एक 05 वर्षीय बालक का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। प्रकरण के संज्ञान मे आते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए तत्काल बच्चे की सकुशल एवं शीघ्र बरामदगी करने का कड़ा निर्देश प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को दिया था। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज के निर्देशन में टीमो का गठन कर एवं स्वॉट / सर्विलांस टीम को भी बच्चे की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिए लगाया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा दिए गए कुशल निर्देशन के फलस्वरूप थाना वजीरगंज पुलिस व स्वॉट टीम को अपहृत बालक को 30 घण्टे के अन्दर ही बरामद करने में सफलता हासिल हुई।

आज दिनांक 25.06.2021 को अपहृत बालक की बरामदगी के लिए पुलिस / स्वॉट टीम क्षेत्र में रवाना थी कि मुखबिर खास नें सूचना दी कि अपहृत बालक विशाल तिवारी को लेकर दो व्यक्ति प्रस्तावित गौशाला ग्राम नौबस्ता की जंगल झाड़ी में छिपे है। इस सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम नें नौबस्ता के जंगल में बदमाशों को घेरने का प्रयास किया तो बदमाशो ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश शिवम राणा के पैर में गोली लग गयी तथा घटना में शामिल साथी अभियुक्त जयचंद पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बालक विशाल तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया। अभियुक्त शिवम से कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त शिवम राणा एक शातिर अपराधी है जिसने कुछ दिन पूर्व एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जबरन विवाह करने का प्रयास किया था परन्तु पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया था नाबालिग बालिका के साथ गलत काम व जबरन शादी न कर पाने के कारण अभियुक्त शिवम नाराज हो गया और उसने अपहृता बालिका के भाई को दिनांक 23.06.2021 को अपहृत कर लिया तथा उसके पिता को धमकी दी कि **या तो मुझे 20 लाख रुपया दो या फिर मेरा विवाह अपनी लड़की से कर दो नही तो मै इस बच्चे को मार दूंगा**। परन्तु पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस घटना को तत्काल संज्ञान लेने एवं उनके निर्देशन में की गयी त्वरित कार्यवाही के

फलस्वरूप थाना वजीरगंज पुलिस/स्वॉट टीम ने अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया। **अभियुक्त शिवम राणा** के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस तथा **अभियुक्त जयचन्द** के पास से एक अदद नाजायज चाकू व घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर, 01 अदद सैमसंग मोबाइल कीपैड, व 03 अदद खोखा कारतूस बरामद किये गए है। घटना में कार्यवाही के दौरान थाना वजीरगंज का एक आरक्षी अमित सिंह भी घायल हुआ है। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमाण्ड मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी पर पुलिस/स्वॉट टीम को 25000/- रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

01. शिवम राणा पुत्र सूर्यपाल नि0 बगमरवां मौजा किन्दौसा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा **(घायल अभियुक्त)**
02. जयचंद पाण्डेय पुत्र श्री चन्द्र पाण्डेय ग्राम महुआरी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0- 134 / 21, धारा 363,366 भादवि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 208 / 21, धारा 364 ए भादवि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0- 211 / 21, धारा 307 भादवि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 212 / 21, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-213 / 21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. 01 अदद सैंमसंग मोबाइल (कीपैड)।
04. 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल बिना नंबर।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. प्र0नि0 वजीरगजं मय टीम।
02. प्रभारी स्वॉट/ सर्विलांस मय टीम।